कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

(5)

पत्रांक सं0: 608 /12-1 दिनांक 2 / 9 /2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर, कीर्तिनगर।

विषय :— जनपद—टिहरी गढवाल के अन्तर्गत जामणीखाल से चौडियों—बारगुरू—भैंसकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.785 हे0 के प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/30646/2017 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— आपका पत्रांक—1342 / 33सी0 दिनांक 26—08—2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार के पत्र संख्या—08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 68 / 2018 / एफ0सी0 / 1678 दिनांक 14—11—2018 से जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना हेतु संशोधित डिमाण्ड नोट निम्नवत् जारी किया जाता है।

1- **शर्त संख्या—01** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा ग्राम—जोगियाणा की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु मु0 10,94,316.00 धनराशि जमा करनी होगी। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या—क—972 / 3—5—2(II) दिनांक 21—11—2017 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

वसूली वर्ष 2019—20 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु धनराशि का विवरण —

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि —	1.785 X 2 =3.570 हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे0—	3,06,531.00 प्रति हे0
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि—	3.570 X 3,06,531.00=**10,94,315.67** या **10,94,316.00**

1.1 **शर्त संख्या—1.1** के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम—जोगियाणा की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.570 हे0 है, को भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत छः माह के अन्तर्गत वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित / हस्तान्तरित कर आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।

2- **शर्त संख्या—02** के अनुपालन में एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.785 हे0 हेतु @ 06,57,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 11,72,745.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :—

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या—5—3 / 2007—एफ0सी0 दिनांक 05—02—2009 मे उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आबंटित वन भूमि हेतु एन0पी0पी0 की देयता निम्नानुसार है" :—

ईको—क्लास श्रेणी—	V
हरियाली का घनत्व—	0.10 Open Forest
एन0पी0वी की दर प्रति हे0—	मु0 06,57,000.00 (छः लाख सत्तावन हजार रूपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल—	1.785 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि—	1.785 हे0 X 06,57,000.00 = 11,72,745.00

Scanned by CamScanner

3- **शर्त संख्या- 03** के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

4- **शर्त संख्या-04** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जेनरेट होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

5- **बिन्दु संख्या-05** के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ तक सम्भव हो, मार्ग के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख मे Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र पर प्रस्तुत किया जायेगा।

6- **बिन्दु संख्या-06** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रॉक्कलन सम्बन्धित राजि अधिकारी के सहयोग से तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये ऑनलाईन भी अपलोड करने का कष्ट करें।

02/9/19

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

Scanned by CamScanner